जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.07.2024

दबिश के दौरान 01 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना धनघटा द्वारा** वारण्टी नाम घूरे उर्फ पहलवान पुत्र राकेश निवासी रुपीपुर थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रजनीश राय, का0 दीपक खरवार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5996 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 05 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5996 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत मैनसिर चौराहा से इवेन्ट संख्या 33189 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में 05 व्यक्तियों (**1-आरती वर्मा पत्नी सचिन,02. अनुभव पुत्र रामानुज थाना महुली जनपद संतकबीरनगर एवं 03.सोनी पुत्री शिवमोहन,04. माधुरी पुत्री कपिल, 05. सरिता पत्नी श्रीनेत जनपद गोरखपुर**) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-*मु0आ0 राजेश चौहान, आ0 संदीप कुमार, हो0चा0 बिरेन्द्र चौधरी।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 104 वाहनों से 1,59,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 11.07.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 104 वाहनों से 1,59,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।